वाणिज्य अ.ज.– 465

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उप मुख्य अभियंता वाणिज्य)

अ.वि.वि.नि.लि. / उप.मु. अ.(वाणिज्य) / अधि.अभि.–II / फा.(57)ई / 2011 / प्रे. 377 दिनांक : 13/5/2011

आदेश

विषय :– ओला वृष्टि से प्रभावित गांवो के लघु एवं सीमान्त काश्तकारो के बिलिंग माह दिसम्बर–2010, जनवरी–2011, फरवरी–2011 एवं मार्च–2011 के बिजली के बिलो के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानो को राहत देने हेतू दिनांक 17.03.2011 को निम्न राहत पैकेज घोषित किया है।

(1) लघु एवं सीमान्त कृषको को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह दिसम्बर–2010, जनवरी–2011, फरवरी–2011 एवं मार्च–2011 के विद्युत बिलो की राशि माफ की जायेगी।

(2) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषको को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होने भूमि पर ठेकेदारी / बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से सपंर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवो के लघु एवं सीमान्त काश्तकारो की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओ को उपलब्ध करायेगें। इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा बिलिंग माह दिसम्बर–2010, जनवरी–2011, फरवरी–2011 एवं मार्च–2011 के बिलो की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (R&C) अजमेर डिस्कॉम , अजमेर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (R&C) इस संबंध में उपभोक्ताओ को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim)प्रेषित करेगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश अजमेर डिस्कॉम के निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते है।

Tech 1055
25-5-11

आज्ञा से
13/5

D573
26.5.11

(जी.आर. चौधरी)
उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

copy submitted to the XEN (MT/HTMT) AVVNL, Ajmer Kishangarh/Makrana/Sikar for information & necessary action please.

26/5/11
TA to SE (M&P),
AVVNLtd. Ajmer

(5)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/झूंझनू।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम..........................को अतिरिक्त..............प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. अधिशाषी अभियन्ता,( ), अजमेर डिस्कॉम..............................
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी,( ), अजमेर डिस्कॉम..............................
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स्, जयपुर।
15. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
16. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।

13/5

उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

D:/AVVNL11-12/XEN-II/TAYLOR/hindi letter